

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
समाज कल्याण विभाग, दिल्ली गेट
नई दिल्ली-110002
(प्रशासन विभाग)

F 10(335)/Admn-I/2016/DSW/Estt./ 9398-9463

दिनांक

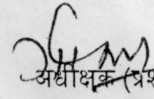
10 JUL 2017

परिपत्र

विषय: हिन्दी टिप्पण -प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता -2017 (स्वेच्छा से) कार्य करने की मूल्यांकन अवधि
01.01.2017 से 30.06.2017 तक।

उपरोक्त विषय पर उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) द्वारा प्राप्त पत्र संख्या नं-फा.सं. 05(04)/2017-
18/क.सं. एवं भाषा/980-1081 दिनांक 16.06.2017 कि प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित है।

प्रतिलिपि संलग्न है।


अधीक्षक (प्रशा-1)

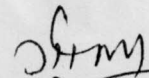
F 10(335)/Admn-I/2016/DSW/Estt./ 9398-9463

दिनांक

10 JUL 2017

प्रतिलिपि:

1. PA to Director, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली- सूचनार्थ हेतु।
2. समस्त जिला अधिकारी/उप-निदेशक, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली
3. समस्त DDO/HOO, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली
4. Sr. System Analyst कार्यालय की website पर upload करने हेतु।
5. गार्ड फाइल


अधीक्षक (प्रशा-1)

13/CC
10/7/17

Please do the needful.

(MB) PA-3
10/07/2017

Sh. Kamal A.P.

29 JUN 2017

Dy. No. 3055

फार्म: 05(04)/2017-18/क0सं0 एवं भाषा/980-1081
सेवा में,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी-विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

दिनांक: 16/6/17

समस्त विभागाध्यक्ष

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली ।

विषय: हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता-2017 (स्वेच्छा से) कार्य करने की मूल्यांकन
अवधि 01.01.2017 से 30.06.2017 तक ।

महोदय/महोदया,

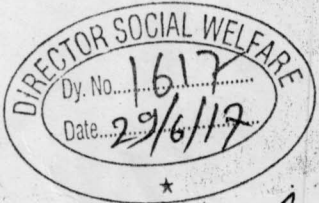
सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाने, इसका प्रचार-प्रसार करने तथा कार्यालय कार्य हिन्दी में करने के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हिन्दी टिप्पण प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) का आयोजन किया जा रहा है । इस योजना के अधीन हिन्दी में सबसे अधिक कार्य करने वाले विभाग को विभागीय पुरस्कार के रूप में एक राजभाषा शील्ड, 20 राजपत्रित अधिकारियों तथा 33 अराजपत्रित कर्मचारियों को नकद पुरस्कार राशि पदक व प्रशस्ति पत्र दिये जायेंगे । इस प्रतियोगिता के लिये अधिकारी वर्ग के लिये 20 पुरस्कारों में से 5 पुरस्कार अहिन्दी भाषी अधिकारियों को दिये जाने का प्रस्ताव है । यदि अहिन्दी भाषी अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर ये पुरस्कार हिन्दी भाषी अधिकारियों को दिये जायेंगे । इस प्रतियोगिता के लिये हिन्दी में कार्य करने की मूल्यांकन अवधि 01.01.2017 से 30.06.2017 तक निर्धारित की गई है । प्रतियोगिता की नियमावली एवं फार्म इसके साथ संलग्न है ।

समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि इस प्रतियोगिता में केवल उन्ही अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम भेजें जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के हिन्दी में किये गये कार्यों से वे स्वयं संतुष्ट हों । इस परिपत्र के साथ संलग्न फार्म भी कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित होना चाहिये ।

कृपया अपने विभाग/कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को इस प्रतियोगिता के बारे में अवगत कराने का कष्ट करें और हिन्दी में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम मूल्यांकन की अवधि को ध्यान में रखते हुये निर्धारित प्रपत्र में अतिशीघ्र तथा दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 तक इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें । निरीक्षण के उपरान्त परिणाम संबंधी सूचना नीचे दी गई विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है ।

कृपया इसे प्राथमिकता दें ।

टीप: संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाइट www.artandculture.delhigovt.nic.in पर देखी जा सकती है ।



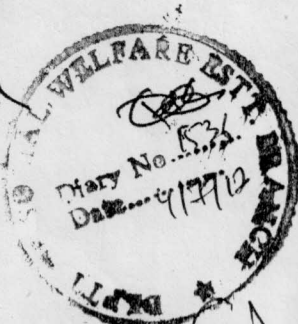
1593/SK/DIC
23/07/2017

भवदीय

(बी0 एस0 वशिष्ठ)

उप- सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

जारी- /2.....



MS. Himani

लिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 1082-1007

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिन्दी कार्यान्वयन समिति जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, तीस हजारी, दिल्ली ।
6. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई.पो.एस्टेट, नई दिल्ली ।
7. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली ।
8. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम, 419, उद्योग सदन, पटपटगंज, औद्योगिकी क्षेत्र, दिल्ली-92.
9. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली ।
10. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
11. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली ।
12. प्रबंधक (मा.सं.), प्रशिक्षण एवं हिन्दी अनुभाग, इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ओ एंड एम भवन राजघाट पावर हाउस, नई दिल्ली-02.
13. निदेशक (कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय फेस-2, झण्डेवाला न, नई दिल्ली ।
14. प्रशासनिक अधिकारी, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यू.टी.सी.एस. बिल्डिंग, विश्वास नगर, दिल्ली ।
15. दिल्ली सरकार के समस्त स्वायत्त निकाय/निगम, दिल्ली/नई दिल्ली ।
16. दिल्ली सरकार के अंतर्गत समस्त समितियाँ/बोर्ड/परिषद्/संगठन, दिल्ली/नई दिल्ली ।
17. श्री मोहम्मद अहमद, वरिष्ठ कम्प्यूटर ऑपरेटर, कला, संस्कृति एवं भाषा को वेबसाइट पर डालने के संदर्भ में ।

(बी0 एस0 वशिष्ठ)

उप- सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

दूरभाष संख्या: 23392307

हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) की नियमावली
(वर्ष 2017-2018)

1. इस प्रतियोगिता का नाम हिन्दी टिप्पण व प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) होगा।
2. इस प्रतियोगिता का उद्देश्य दिल्ली सरकार के विभागों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देना तथा अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में सरकारी कामकाज के प्रति रुचि पैदा करना है।
3. इस प्रतियोगिता में दिल्ली सरकार के भाषा विभाग, दिल्ली नगर निगम (पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली ट्रांसको लि०, हिन्दी आशुलिपिक, हिन्दी अकादमी, दिल्ली पुलिस तथा किसी अन्य विभाग के राजभाषा विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर दिल्ली सरकार के समस्त विभागों/स्वायत्त निकायों/निगम के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं।
4. इस प्रतियोगिता के मूल्यांकन की अवधि 01.01.2017 से 30.06.2017 (01 जनवरी, 2017 से 30 जून, 2017) तक होगी।
5. उपर्युक्त अवधि में हिन्दी में लिखी टीपों/प्रारूपों की जांच की जायेगी।
6. टीप के बीच में आए पारिभाषिक अंग्रेजी शब्दों पर कोई आपत्ति नहीं होगी। हिन्दी में नोट लिखते समय किसी अंग्रेजी शब्द को देवनागरी/रोमन में लिखने पर टीप हिन्दी में ही मानी जायेगी। व्याकरण/वर्तनी (स्पेलिंग) की छोटी-मोटी भूलों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।
7. टीप में "देखा", "धन्यवाद", "कृपया चर्चा करें", "फाईल करें" इत्यादि शब्दों को भी एक-एक लाईन माना जायेगा।
8. हिन्दी में सबसे अधिक कार्य करने वाले विभाग को विभागीय पुरस्कार के रूप में एक राजभाषा शील्ड भी दी जायेगी।
9. इस प्रतियोगिता में 4600/-रुपये या उससे अधिक ग्रेड पे में कार्यरत समस्त (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग सहित) अधिकारी/कर्मचारी शामिल होंगे।
10. प्रतियोगिता में दो वर्ग होंगे (1) अधिकारी वर्ग, इस वर्ग में अधीक्षक, समकक्ष एवं उच्च अधिकारी तथा (2) कर्मचारी वर्ग में लिपिक से लेकर सहायक के पद तक तथा अपने विभाग में डायरी, डिस्पैच, अन्य सरकारी कार्य या उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपा गया विभागीय कार्य हिन्दी में करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित होंगे।
11. दोनों वर्गों में पुरस्कार राशि निम्न प्रकार से होगी:-

	पुरस्कारों की संख्या	वर्तमान राशि
(1) अधिकारी वर्ग	20 पुरस्कार	4000/-रुपये (प्रत्येक)
(2) कर्मचारी वर्ग	प्रथम पुरस्कार	4000/-रुपये (एक)
	द्वितीय पुरस्कार	3000/-रुपये (एक)
	तृतीय पुरस्कार	2000/-रुपये (एक)
	प्रोत्साहन पुरस्कार	800/-रुपये (तीस)(प्रत्येक)

12. अधिकारी वर्ग में 5 पुरस्कार अहिन्दी भाषी अधिकारियों को दिये जाने का प्रस्ताव है यदि अहिन्दी भाषी अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर ये पुरस्कार हिन्दी भाषी अधिकारियों को दिये जायेंगे ।
13. इस प्रतियोगिता में दिल्ली सरकार के भाषा विभाग तथा हिन्दी अकादमी के कर्मचारी एवं किसी अन्य स्वायत्त निकाय/स्थानीय निकाय/संस्थान के राजभाषा विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी भाग नहीं लेंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य एवं अध्यापक भी भाग नहीं ले सकेंगे।
14. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) को प्रतियोगिता के नियमों में तथा पुरस्कारों की राशि में फेरबदल करने का पूरा अधिकार होगा। इस संबंध में किसी शिकायत पर सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) का निर्णय सर्वमान्य होगा ।
15. इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रोफार्मा में केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा जिनकी संस्तुति संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की गई होगी।
16. नियमों की व्याख्या अथवा अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिये कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग में टेलीफोन संख्या 23392152 पर संपर्क किया जा सकता है।

व.व.शिव

(बी0 एस0 वशिष्ठ)
उप-सचिव, कला, संस्कृति एवं भाषा
दूरभाष संख्या: 23392307

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
(कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग)

हिन्दी टिप्पण व प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) वर्ष 2017-2018 में भाग लेने के लिये
अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भरे जाने वाला निर्धारित प्रपत्र :-

(मूल्यांकन की अवधि 01.01.2017 से 30.06.2017 (01 जनवरी, 2017 से 30 जून, 2017 तक))

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. पदनाम (ग्रेड पे सहित) :
4. विभाग का नाम व पूरा पता
दूरभाष/मोबाईल संख्या सहित
(दूरभाष संख्या लिखना अनिवार्य है) :
5. हिन्दी में किए गए कार्यों का ब्यौरा
(प्रतिलिपि सहित) :
6. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले
अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर :

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर एवं मोहर

MS. 41 1